



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3910] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 5, 2019/अग्रहायण 14, 1941

No. 3910] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 5, 2019/AGRAHAYANA 14, 1941

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4355(अ).—केंद्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 46 की उपधारा (2) के खंड (कक) और खंड (कख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2019 है।
(2) इन नियमों को, नियम 6 की मद (i), (ii), (iii), (iv), (v) और (vii) के सिवाय, जो सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवर्तित होंगी, 17 अक्तूबर, 2019 को प्रवर्तित माना जाएगा।
- विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 में, (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है), नियम 2 में,-
 - खंड (कड) में, "(iv) ऐसी पारस्परिक निधियां जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधियां) विनियम, 1996 द्वारा प्रशासित साम्या में पचास प्रतिशत से अधिक विनिधान करती हैं;" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों का लोप किया जाएगा;
 - खंड (कढ) में, "ऋण" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।
- मूल नियमों में, नियम 9 में, उप-नियम (4) में, "गैर-प्रतिसंदेय आधार पर" शब्दों का लोप किया जाएगा।
- मूल नियमों में, नियम 11 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"11. एफपीआई द्वारा भारतीय कंपनी की साम्या लिखतों का अंतरण — इन नियमों के अनुसार भारतीय कंपनी या इकाई की साम्या लिखतों को धारण करने वाले एफपीआई, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट किन्हीं शर्तों, यदि कोई हो, के अनुपालन में और उसके अधीन विहित तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा यथाविनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, उनके द्वारा धारित साम्या लिखतों या इकाइयों को अंतरित कर सकेंगे:

परंतु यह कि,-

- (i) यदि कंपनी किसी ऐसे क्षेत्र में कार्यरत है जिसके लिए सरकार का अनुमोदन अपेक्षित इस दशा में किसी अंतरण के लिए सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा;
- (ii) जहां इन नियमों की अनुसूची 2 के अधीन एफपीआई द्वारा किया गया साम्या लिखतों का अर्जन लागू सकल एफपीआई सीमाओं या क्षेत्रीय सीमाओं को भंग करता है, वहां अनुसूची 2 के पैरा (1) के उप-पैरा (क) की मद (iii) के उपबंध लागू होंगे।"

5. मूल नियमों में, नियम 21 में, उप-नियम (2) में, खंड (ii) के पश्चात, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"स्पष्टीकरण: संपरिवर्तनीय साम्या लिखतों के मामले में, लिखत की कीमत या संपरिवर्तन का फार्मूला लिखत के निर्गम से पहले निर्धारित किया जाएगा। संपरिवर्तन के समय कीमत किसी भी दशा में इन नियमों के अनुसार, ऐसी लिखतों के निर्गमन के समय तय उचित मूल्य से कम नहीं होगी।"

6. मूल नियमों में, अनुसूची I में, सारणी में,-

- (i) क्रम संख्या 3.2 के सामने, स्तंभ (2) में, कोयला और लिग्नाइट शीर्षक के अधीन:

"(क) खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) और कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (2015 का 11) के उपबंधों के अधीन और उसके अध्यक्षीन अनुज्ञात विद्युत परियोजनाओं, लोहा और इस्पात तथा सीमेंट इकाइयों और अन्य पात्र क्रियाकलापों द्वारा नियंत्रित उपभोग के लिए कोयला और लिग्नाइट खनन।";

(ख) प्रविष्टि (ख) के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(ग) खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 और कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के समय-समय पर यथासंशोधित तथा इस विषय पर अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन सहयोजित प्रसंस्करण अवसंरचना सहित कोयला की बिक्री, कोयला खनन कार्यकलापों के लिए।";

- (ii) क्रम संख्या 3.4 के सामने, स्तंभ (2) में, अन्य शर्तें शीर्षक के अधीन, खंड (क) और (ख) को पुनः लिखा जाएगा क्योंकि क्रमशः खंड (ख) और (ग) तथा इस प्रकार पुनः लिखे गए खंड (ख) से पहले, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

3.2 (ग) में उल्लिखित "(क) सहयोजित प्रसंस्करण अवसंरचना" में कोयला धवनशाला, इसकी पिसाई, कोयला हैंडलिंग, और पृथक्करण (मैग्नेटिक और गैर-मैग्नेटिक) शामिल हैं";

- (iii) क्रम संख्या 5.1 के सामने, "विनिर्माता को थोक विक्रय और/या खुदरा, जिसके अन्तर्गत सरकारी अनुमोदन के बिना ई-वाणिज्य के माध्यम से भी है, के माध्यम से भारत में अपने विनिर्मित उत्पादों का विक्रय करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है।" के लिए, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"विनिर्माण संबंधी क्रियाकलाप या तो निवेशग्राही कंपनी द्वारा स्वविनिर्माण के कार्य हो सकते हैं या भारत में विधिक रूप से मान्य संविदा के जरिए किए जा सकते हैं, चाहे यह मालिक से मालिक या मालिक से अधिकर्ता के आधार पर हो। इसके अलावा, विनिर्माता को थोक विक्रय और/या खुदरा, जिसके अन्तर्गत सरकारी अनुमोदन के बिना ई-वाणिज्य के माध्यम से भी है, के माध्यम से भारत में अपने विनिर्मित उत्पादों का विक्रय करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है।";

- (iv) क्रम संख्या 7.2 के सामने, क्रम संख्या 7.2.3 की क्रम संख्या को 7.2.4 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा तथा इस प्रकार पुनः संख्यांकित किए गए क्रम संख्या 7.2.4 से पहले, निम्नलिखित क्रम संख्या अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"7.2.3	डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार और समसामयिकी की अपलोडिंग/स्ट्रीमिंग	26%	सरकारी";
--------	---	-----	----------

- (v) क्रम संख्या 15.2.3 की प्रविष्टि (त), के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(त) एफडीआई वाली ई-वाणिज्य बाजारस्थल संस्था को ई-वाणिज्य दिशानिर्देशों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए, पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट को प्राप्त करना होगा और उसका अनुरक्षण करना होगा।";

- (vi) क्रम संख्या 15.3 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रवेश मार्ग शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"स्वतः"

- (vii) क्रम संख्या 15.3.1 के सामने, प्रविष्टि (ङ), (च) और (छ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ङ) 51 प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश से जुड़े प्रस्तावों के संबंध में, खरीदे गए माल के मूल्य की 30 प्रतिशत सोर्सिंग, भारत से, अधिमानतः एमएसएमईएस, गांव और कुटीर उद्योगों, कारीगरों और शिल्पकारों से सभी क्षेत्रों में की जाएगी। घरेलू सोर्सिंग की मात्रा कंपनी द्वारा स्वप्रमाणित होगी, जिसकी सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित खातों से बाद में जांच की जाएगी, जिसे कंपनी को बनाए रखने की आवश्यकता होगी। एसबीआरटी व्यवसाय (अर्थात् प्रथम स्टोर खोलना या ऑनलाइन खुदरा व्यापार शुरू करना, जो भी पहले हो) की शुरुआत वर्ष के 1 अप्रैल से खरीदे गए सामानों के 5 वर्ष के कुल मूल्य के औसत के रूप में खरीद की आवश्यकता को प्रथम बार में पूरा किया जाना है। इसके बाद, एसबीआरटी कंपनी को वार्षिक आधार पर 30 प्रतिशत स्थानीय सोर्सिंग मानदंडों को पूरा करना अपेक्षित होगा। सोर्सिंग की आवश्यकता का पता लगाने के लिए, संबंधित इकाई कंपनी होगी, जिसे भारत में निगमित किया जाएगा, जो एकल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार करने के उद्देश्य से विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली है।

(च) प्रविष्टि (ङ) में विहित स्थानीय सोर्सिंग आवश्यकता को पूरा करने के प्रयोजनार्थ, एसबीआरटी कंपनी द्वारा उस एकल ब्रांड के लिए भारत से की गई सभी खरीदों की गणना, इस बात की परवाह किए बिना कि क्या खरीदे गए सामान की भारत में बिक्री की जाती है या निर्यात किया जाता है, स्थानीय सोर्सिंग के लिए गणना की जाएगी। एसबीआरटी कंपनी को 30 प्रतिशत की अनिवार्य सोर्सिंग आवश्यकता के विपरीत वैश्विक परिचालनों के लिए भारत से सामान की सोर्सिंग की क्षतिपूर्ति की भी अनुज्ञा प्राप्त है। इस प्रयोजनार्थ, "वैश्विक प्रचालनों के लिए भारत से सामान की सोर्सिंग" का आशय एसबीआरटी शुरू करने वाली कंपनी या इसके समूह की कंपनियों (निवासी या अनिवासी) द्वारा किसी विशेष वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से या उनके द्वारा किसी विशेष वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से या उनके द्वारा विधिक रूप से मान्य किसी करार के तहत तीसरे पक्षकार के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से उस एकल ब्रांड के लिए वैश्विक प्रचालनों के लिए भारत से लिए गए सामानों के मूल्य (भारतीय रुपए में) से होगा।

(छ) त्रिक और मोटार भंडारों के माध्यम से संचालित कोई एसबीआरटी कंपनी भी ई-कॉमर्स के माध्यम से खुदरा व्यापार शुरू कर सकती है। तथापि, ई-कॉमर्स के माध्यम से खुदरा व्यापार त्रिक और मोटार भंडार खोलने से पहले भी शुरू किया जा सकता है, यह इस शर्त के अध्येय है कि कंपनी ऑनलाइन खुदरा व्यापार प्रारंभ करने की तारीख से दो वर्षों के भीतर त्रिक और मोटार भंडार खोले।

7. मूल नियमों में, अनुसूची II में, पैराग्राफ (1) में, उप-पैराग्राफ (क) में, मद (i) में,-

(i) "भारतीय कंपनी" शब्दों के बाद शब्द "एफपीआईएस द्वारा" अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"परंतु संबंधित भारतीय कंपनी द्वारा क्रमशः संकल्प और एक विशेष संकल्प के माध्यम से इसके निदेशकों के बोर्ड और इसके सामान्य निकाय के अनुमोदन से, 24 प्रतिशत की कुल सीमा को, यथा लागू, क्षेत्रक सीमा/सांविधिक उच्चतम सीमा तक बढ़ाया जा सकता है।

[फा. सं. 01/05/ईएम/2019]

आनन्द मोहन बजाज, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), संख्या का.आ. 3732(अ), तारीख 17 अक्तूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2019

S.O. 4355(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (aa) and (ab) of sub-section (2) of section 46 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Central Government hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) (Amendment) Rules, 2019.
 - (2) These rules shall be deemed to have come into force on the 17th October, 2019, except items (i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vii) of rule 6 which shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019, (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2,-
 - (i) in clause (ae), the words, brackets and figures “and (iv) mutual funds which invest more than fifty percent in equity governed by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996;” shall be omitted;
 - (ii) in clause (am), the words “and debt” shall be omitted.
3. In the principal rules, in rule 9, in sub-rule (4), the words “on a non-repatriation basis” shall be omitted.
4. In the principal rules, for rule 11, the following rule shall be substituted, namely:-

“11. Transfer of equity instruments of an Indian company by FPI – A FPI holding equity instruments of an Indian company or units in accordance with these rules, may transfer such equity instruments or units held by him in compliance with the conditions, if any, specified in the Schedules annexed to these rules, subject to the terms and conditions specified therein and by the Securities and Exchange Board of India:

Provided that, -

- (i) prior Government approval shall be obtained for any transfer in case the company is engaged in a sector which requires the Government approval;
 - (ii) where the acquisition of equity instruments by FPI under Schedule II has resulted in a breach of the applicable aggregate FPI limits or sectoral limits the provisions of item (iii) of sub-paragraph (a) of paragraph (1) of Schedule II shall apply.”.
5. In the principal rules, in rule 21, in sub-rule (2), after clause (ii), the following explanation shall be inserted, namely:

“Explanation: In case of convertible equity instruments, the price or conversion formula of the instrument should be determined upfront at the time of issue of the instrument. The price at the time of

conversion should not in any case be lower than the fair value worked out, at the time of issuance of such instruments, in accordance with these rules.”

6. In the principal rules, in Schedule 1, in the Table,-

(i) against Sl. No. 3.2, in column (2), under the heading Coal and Lignite,-

(a) for entry (a), the following entry shall be substituted, namely:

“(a) Coal and Lignite mining for captive consumption by power projects, iron and steel and cement units and other eligible activities permitted under and subject to the provisions of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) and the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 (11 of 2015).”;

(b) after entry (b), the following entry shall be inserted, namely:-

“(c) For sale of coal, coal mining activities including associated processing infrastructure subject to the provisions of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 and the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 and as amended from time to time and other relevant Acts on the subject.”;

(ii) against Sl. No. 3.4, in column (2), under the heading Other Conditions, clauses (a) and (b) shall be re-lettered as clause (b) and (c) respectively and before clause (b) as so re-lettered, the following clause shall be inserted, namely:-

“(a) Associated Processing Infrastructure” as contained in 3.2 (c) includes coal washery, crushing, coal handling, and separation (magnetic and non-magnetic)”;

(iii) against Sl. No. 5.1, for “A manufacturer is permitted to sell its products manufactured in India through wholesale and/ or retail, including through e-commerce without Government approval.” the following shall be substituted, namely:

“Manufacturing activities may be either self manufacturing by the investee entity or contract manufacturing in India through a legally tenable contract, whether on Principal to Principal or Principal to Agent basis. Further, a manufacturer is permitted to sell his products manufactured in India through wholesale and/or retail, including through e-commerce, without Government approval.”;

(iv) against Sl. No. 7.2, Sl. No. 7.2.3, shall be renumbered as Sl. No. 7.2.4 and before Sl. No. 7.2.4 as so renumbered, the following Sl. No. shall be inserted, namely:-

“7.2.3	Uploading/Streaming of News and Current Affairs through Digital Media	26%	Government”;
--------	---	-----	--------------

(v) against Sl. No. 15.2.3, for entry (p), the following entry shall be substituted, namely:-

“(p) e-commerce marketplace entity with FDI shall have to obtain and maintain a report of statutory auditor by 30th of September every year for the preceding financial year confirming compliance of the e-commerce guidelines.”;

(vi) against Sl. No. 15.3, in column (4), under the heading Entry Route, for the entries, the following entry shall be substituted, namely:-

“Automatic.”;

(vii) against Sl. No. 15.3.1, for the entries (e), (f) and (g), the following entries shall be substituted, namely:

“(e) In respect of proposals involving foreign investment beyond 51 per cent, sourcing of 30 per cent. of the value of goods procured, shall be done from India, preferably from MSMEs, village and cottage industries, artisans and craftsmen, in all sectors. The quantum of domestic sourcing shall be self-certified by the company, to be subsequently checked, by statutory auditors, from the duly certified accounts which the company shall be required to maintain. The procurement requirement is to be met in the first instance as an average of five years total value of goods

procured beginning 1st April of the year of the commencement of SBRT business (i.e. opening of first store or start of online retail, whichever is earlier). Thereafter, SBRT entity shall be required to meet the 30 per cent local sourcing norms on an annual basis. For the purpose of ascertaining the sourcing requirement, the relevant entity would be the company incorporated in India, which is the recipient of foreign investment for the purpose of carrying out single brand product retail trading.

(f) For the purpose of meeting local sourcing requirement laid down at entry (e), all procurements made from India by the SBRT entity for that single brand shall be counted towards local sourcing, irrespective of whether the goods procured are sold in India or exported. SBRT entity is also permitted to set off sourcing of goods from India for global operations against the mandatory sourcing requirement of 30 per cent. For this, purpose, 'sourcing of goods from India for global operations' shall mean value of goods sourced from India for global operations for that single brand (in INR terms) in a particular financial year directly by the entity undertaking SBRT or its group companies (resident or non-resident), or indirectly by them through a third party under a legally tenable agreement.

(g) A SBRT entity operating through brick and mortar stores, can also undertake retail trading through e-commerce. However, retail trading through e-commerce can also be undertaken prior to opening of brick and mortar stores, subject to the condition that the entity opens brick and mortar stores within two years from date of start of online retail.”.

7. In the principal rules, in Schedule II, in paragraph (1), in sub-paragraph (a), in item (i), -
- (i) after the words “Indian company”, the words “by FPIs” shall be inserted;
 - (ii) the following proviso shall be inserted at the end, namely:

“Provided the aggregate limit of 24 per cent may be increased by the Indian company concerned up to the sectoral cap/ statutory ceiling, as applicable, with the approval of its Board of Directors and its General Body through a resolution and a special resolution, respectively.”.

[F. No. 01/05/EM/2019]

ANAND MOHAN BAJAJ, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3732 (E), dated the 17th October, 2019.